न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 218 / 2019 (2019 / 00218)

1. मदनलाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. शिशपाल पुत्र स्व श्री पतराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, हाल मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. महेन्द्र पुत्र श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, हाल मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
3. गोमती पत्नी स्व श्री पतराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
4. निर्मला पुत्री स्व श्री पतराम पत्नी राजपाल जाति कुम्हार निवासी 2 एन.जी.एम. बावरीयों वाली ढाणी, खेतावाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)
5. रामेश्वरी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
6. विमला पुत्री श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
7. सीताराम पुत्री श्री पूणराम पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
8. दलीप पुत्र श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
9. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ। —— रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ,

दिनांक 13.09.2019, प्र. सं. 017/2018

अनवान सावित्री देवी आदि बनाम पतराम आदि

श्री अजयवीर मान, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री खुशप्रीत सिह संधू, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 9

निर्णय दिनांक 28.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि स्व0 जीवन पुत्र जेठाराम की चक 17 एस.टी.जी. में 4.46 है0 व चक 12 एमओडी में 1.518 है0 कुल 6.364 है0 भूमि थी। जीवनराम का देहांत हो गया उसके तीन पुत्र पूर्णराम, रजीराम व पतराम थे। रजीराम का अपने पिता के जीवन काल में सन 1972 में देहान्त हो गया तथा वादीगण स्व0 रजीराम के वारिस हैं। वादीगण कमजोर व असहाय है तथा इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 व स्व0 श्री पूर्णराम ने चक 17 एस.टी.जी. की भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि चक 5 एम.ओ.डी. की भूमि अभी भी स्व0 श्री जीवनराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने कुल 6.364 है0 भूमि में अपना 1/3 हिस्सा का हकदार होने का कथन किया और ओर 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित करने व अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन करवाकर अलग से कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण स्व0 श्री जीवनराम के पुत्र रजीराम के वारिस नही है रजीराम के देहान्त के उपरान्त वादी संख्या 1 ने एक व्यक्ति तुलसा पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी लखुवाली जिला हनुमानगढ के साथ पुर्नविवाह कर लिया। वादी संख्या 2 रजीराम का पुत्र नहीं होने का कथन किया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादीया संख्या 1 द्वारा पुर्नविवाह कर लिये जाने के प्रश्गनत भूम में वादीगण का कोई हक हिस्सा नही होने का कथन किया। साथ ही कथन कियाकि जीवनराम ने अपनी आवंटित स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 03.12.1981 को पतराम व पूर्णराम के पक्ष में की है तथा इस वसीयत के आधार पर चक 17 एस.टी.जी. की भूमि जीवन की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि में वादीगण का कोइ हक नहीं होने के कारण वाद खारिज करने का कथन किया।

3. वादीया ने जवाबबुल जवाब पेश किया कि उसके द्वारा कोई पुर्नविववाह नहीं किया गया है तथा वह आज भी स्व0 श्री रजीराम की तिथ पर कायम होने व वादी संख्या 2 स्व0 श्री रजीराम का ही पुत्र होने का कथन किया व उसका जन्म रजीराम के जीवनकाल में ही होने का कथन किया। भूमि गैर खातेदार भूमि थी जिसका जीवनराम को वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। वादीया डबलीराठान में ही निवास करने का कथन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2004 को आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 138/2004 दर्ज हुई जिसे दिनांक 24.06.2005 को खारिज किया गया, राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 4556/2017 पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा राजस्व अपील प्राधिकीर के निर्णय व डिक्री दानों केा खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष के अभिवचन एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुणों पर अंतिम बहस सुनकर समस्त साक्ष्य का तनकीवार विवेचन एवं विलश्ेषण करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ [illegible] अपालाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 के द्वारा वादीया का [illegible] किया [illegible] से व्यथित होकर अपीलण्ट ने यह अपील पेश की है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया वादी संख्या 2 की जनम तिथि प्रदर्श ए–1 पाठाशाला स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिनांक 10.08.1973 अंकित है तथा रजीराम का देहान्त दिनांक 12.04.1972 को ही हो गया था जिसके संबंध में प्रदर्श–9–ए मृत्यु प्रमाण पत्र. रजीराम शामिल है। विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों जो सुदृढ साक्ष्य है जिसे दरकिनार कर दिया है। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि एक सुदृढ साक्ष्य है जिसे दरकिनार नही किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायायल का दृष्टान्त व स्थानांतरण प्रमाणपत्र में अंकित तिथि को न मानने का कोई उल्लेख अपने आदेश में नही किया है। स्व0 जीवन पुत्र जेठाराम को वादग्रस्त आरजी पुत्रता आवंटित भूमि थी जिससे वह उसकी स्व0 अर्जित सम्पति साबित होती है जिसकी उसने पंजीकृत वसीयत 03.12.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को 1/2 हिस्सा देकर तहरीर व तकमील करवाई हैं जिसका रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। नाम दर्ज आराजी के आदेश को कभी चुनौति नही दी गई जो अन्तिम व परिपक्व हो चुका है। ला ऑफ विल्स व अन्य न्यायिक दृष्टान्त के मुताबिक तथा कानूनन वसीयत कर्ता की मृत्यु के दिन में प्रभाव में आती है तथा यह माना जाता है कि जैसे उसे उसी दिन वसीयत अस्तित्व में आई हो । वसीयत को किसी सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती है। वादीया संख्या 1 स्व0 रजीराम की मृत्यु उपरान्त तुलसाराम के साथ शादी कर ली थी जिसके सम्बन्ध में प्रदर्श –3 मतदाता सूची सन् 1983 प्रस्तुत की थी तथा धारा 24 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र की पत्नी द्वारा पुर्नविवाह उपरान्त जायदाद में अधिकार समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार वादीया संख्या 1 का वदग्रस्त आजी में कोई हक हिस्सा नही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा नहीं है कब्जा के अभाव में वादी प्रस्तुत नही किया जा सकता हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन [illegible] 2017 रेवेन्यू 1982 पेज 82, आरआरडी 2016 पेज 280, आर[illegible] 2016 पेज [illegible] नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 5 विभाग क्रमांक 405 ए (24) राजस्थान उपनिवेशन/93 दिनांक 26.02.1983, रणजीत गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, माननीय स्वोंच्च न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 18.09.2013, आरएलडब्ल्यू 2008 (2) राजस्थान पेज 707, आरआरडी 2014 पेज 29 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण ने इएक्सए–1 पाठशाला स्थानान्तरण प्रमाणपत्र का आधार लेकर इस प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि 10.08.1973 व इएक्स–9 मृत्यु प्रमाणपत्र में रजीराम की मृत्यु दिनांक 12.04.1972 को होने का आधार लेकर वादी सं0 2 महेन्द्र को रजीराम का पुत्र न होने का तर्क दिया है। स्कूल का रजिस्टर में दर्ज जन्म दिनांक निश्चयात्मक प्रमाण नहीं होता है। पतराम की साक्ष्य डी–3 में उसने कथन कियाकि ''सावित्री के रजीराम के मरने के बाद 1 साल बाद दूसरा विवाह किया जो कहां का रहने वाला था मुझे पता नही सावित्री के दूसरे विवाह करने के 13–14 माह बाद महेन्द्र उत्पन्न हुआ'' इस साक्ष्य की साक्ष्य से भी महेन्द्र का कथित तुलछा से उत्पन्न होना साबित नही है। डीडब्ल्यू–1 मदनलाल ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि महेन्द्र श्री रजीराम के फौत होने के तीन माह बाद पैदा हुआ था'' इस गवाही से भी महेन्द्र का कथित तुलछाराम से उत्पन्न होना साबित नहीं है। बेस्ट एविडेंस जनमदात्री माता की होती है तथा वादिया पीडब्ल्यू–1 ने अपने शपथपूर्ण कथनों में रजीराम की मृत्यु के समय महेन्द्र का जन्म हो जाना व एक माह का होना बताया है। प्रतिवादीगण ने कथित तुलछा को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि अन्य व्यक्ति की एक वोटर लिस्टर इएक्स–3 सन् 1993 की प्रस्तुत कर यह जतलाने का प्रयास किया है कि सावित्री तुलछा की पत्नी है, जबकि इस तथ्य के खण्डन में वादीगण ने वोटर लिस्ट इएक्स–8, परिवार राशन कार्ड इएक्स–4, व जीवनराम के भाई श्योकरण का शपथ–पत्र इएक्स–6 व वारिस प्रमाण पत्र इएक्स–10 प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट ने दूसरी शादी को साबित नहीं किया है। वसीयत को किसी साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत कर साबित नहीं किया गया है। वसीयत रजिस्टर्ड भी हो तो उसके निष्पादन से इन्कार करने पर उसे अटैस्टिंग विटनस ने साबित करवाया जाना आवश्यक है। वसीयत के समय प्रश्नगत भूमि खातेदारी थी–गैरखातेदारी भूमि की वसीयत अवैध व शून्य है। सन् [illegible] में धारा 13 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर की पूर्व स्वीकृति/अनुमति आवश्यक थी। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 में वसीयत को भी अन्तरण माना है तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना की गई वसीयत अवैध व निष्प्रभावी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत भूमि भाखड़ा आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटित हुई है यह भूमि जीवनराम को संयुक्त परिवार की हैसियत से आवंटित हुई थी तथा नियम 10 के अन्तर्गत संयुक्त परिवार की परिभाषा बताई गई है। यह भूमि संयुक्त परिवार को आवंटित होने से भी जीवनराम को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत भाखड़ा आवंटन नियमों के तहत आवंटित भूमि में संयुक्त परिवार का हक है। किसी एक पुत्र के हक में वसीयत गैरकानूनी है तथा वसीयत अमान्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआरआर 1965 एससी पेज 282, एआरईआर 2004 एससी पेज 230, आरआरडी 1989 पेज 829, आरआरडी 1978 पेज 44, एआईआर 1974 उड़िसा पेज 170, एआरआर 2008 एससी पेज 2485, आरआरटी 2016 (2) पेज 1442, डीएनजे 2009 एससी पेज –1, आरआरडी 1988 पेज 23, आरबीजे 2008 पेज 476, आरआरडी 1991 पेज 249, आरआरट॰ 2019 (2) पेज 1110, आरआरटी 2017 (2) पेज 991, आरआरडी 2014 पेज 123 डीबी, आरआरटी 2014 (1) पेज 209, आरआरआर 2019 (2) पेज 1395 आरआरडी 2015 पेज 389 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने अपीलाण्ट की बहस पर का समर्थन करते हुए अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का कथन किया।

9. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत चक 75 एसटीजी एवं चक 5 एमओडी की कुल 6.363 है0 में से 1/3 हिस्सा की घोषणा, खाता विभजन के संबंध में है, जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा स्वीकार किया गया है।

12. अपीलाण्ट का अपील में अधार यह है कि प्रश्नगत भूमि जीवनराम को अलॉट हुई थी जो उसकी स्व0 अर्जित भूमि थी जिसकी जीवनराम ने दिनांक 03.12.1981 को रजिस्टर्ड वसीयत पतराम व पूर्णराम के पक्ष में कर दी थी जिसका अंतिम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। इसके संबंध में वसीयत के समय प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तथा गैर खातेदारी भूमि की वसीयत अवैध व शून्य है। धारा 13 राजस्थान उपनिवेशन धिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर की पूर्व स्वीकृति/अनुमति आवश्यक थी। धारा 13 में वसीयत को भी एक अन्तरण ही माना गया हैं । प्रश्नगत भूमि भाखड़ा आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटित हुई है यह भूमि जीवनराम को संयुक्त परिवार की हैसियत से आवंटित हुई थी। उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत भाखड़ा आवंटन नियमों के तहत आवंटित भूमि में संयुक्त परिवार का हक है। किसी एक पुत्र के हक में वसीयत गैरकानूनी है तथा वसीयत अमान्य है।

13. अपीलाण्ट का दूसरा आधार यह है कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 महेन्द्र को रजीराम का पुत्र नहीं है, जिसके संबंध में उसके द्वारा इएक्स-1 पाठशाला स्थानान्तरण प्रमाणपत्र का आधार लिया है जिसमें अंकित जन्म तिथि 10.08.173 व इएक्स-9 मृत्यु प्रमाण पत्र में रजीराम की मृत्यु दिनांक 12.04.1972 होने का कथन किया है। साथ ही कथन कियाकि सावित्री द्वारा तुलछा राम से पुनर्विवाह कर लिया था इसलिए उसका प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। अधीनस्थ न्यायालय में डीडब्ल्यू 3 पतराम की साक्ष्य में उसके द्वारा कहा गया है कि ''सावित्री ने रजीराम के मरने के बाद 1 साल बाद दूसरा किया जो कहां का रहने वाला था मुझे पता नही है सावित्री के दूसरे विवाह करने के 13-14 माह बाद महेन्द्र उत्पन्न हुआ'' इस साक्ष्य से यह महेन्द्र का तुलछा से उत्पन्न होना साबित नहीं है। डीडब्ल्यू-1 मदनलाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि ''महेन्द्र श्री रजीराम के फौत होने के तीन माह बाद पैदा हुआ। इस गवाह की साक्ष्य से महेन्द्र का तुलछा से उत्पन्न होना साबित नहीं है। अपीलाण्ट ने 1993 की वोटर लिस्ट के आधार पर सावित्री को तुलछा की पत्नी होना बताया है। वोटर लिस्ट के आधार पर सावित्री द्वारा द्वितीय शादी होना साबित नहीं होता है। अपीलाण्ट ने तुलछाराम की साक्ष्य भी नहीं करवाई है। पीडब्ल्यू-1 जो कि महेन्द्र की जनमदात्री मॉ सावित्री है ने अपने बयानों में रजीनाम की मृत्यु के समय महेन्द्र का जन्म होना व एक माह का होना बताया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सीसीसी 2007(सुप) पेज 1 के अनुसार School register में दर्ज जनमतिथि किसी व्यक्ति की सही जन्मतिथि का Conclusive proof नहीं है जब तक कि स्कूल में जन्मतिथि बताने वाले का साक्ष्य में पेश नहीं किया जावे। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सं0 1 सावित्री ने पुर्नविवाह किया हो तथा रेस्पो0 सं0 2 महेन्द्र स्व0 रजीराम का पुत्र होने की बजाय तुलछाराम का पुत्र हो। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 218/2019 (2019/00218)

1. मदनलाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. शिशपाल पुत्र स्व श्री पतराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, हाल मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. महेन्द्र पुत्र श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, हाल मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
3. गोमती पत्नी स्व श्री पतराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
4. निर्मला पुत्री स्व श्री पतराम पत्नी राजपाल जाति कुम्हार निवासी 2 एन.जी.एम. बावरीयों वाली ढाणी, खेतावाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)
5. रामेश्वरी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
6. विमला पुत्री श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
7. सीताराम पुत्री श्री पूणराम पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
8. दलीप पुत्र श्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ। —— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ,
दिनांक 13.09.2019, प्र. सं. 017/2018
अनवान सावित्री देवी आदि बनाम पतराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री अजयवीर मान, अभिभाषक अपीलार्थीगण श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2, श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 9, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.09.21 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

28/9/21
(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested